कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 277/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 16.07.2026

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
जमीन विवाद में जानलेवा हमला करने के मामले में 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण में थाना रौनापार पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त एवं 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।

दिनांक 15.07.2026 को थाना रौनापार पर वादिनी मुकदमा बादामी देवी पत्नी रामविनय पटेल, निवासी ग्राम देवारा रामपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि जमीन के विवाद को लेकर विपक्षियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे से हमला कर उन्हें घायल कर दिया तथा बीच-बचाव करने आए उनके पुत्र अवनीश के साथ भी मारपीट की। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रौनापार पर **मु0अ0सं0- 200/2026** धारा **109(1), 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

आज दिनांक 16.07.2026 को उपनिरीक्षक मधुसूदन मिश्रा मय पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त 1- चन्दन पटेल (35 वर्ष) पुत्र रामाकान्त पटेल एवं अभियुक्ता 2- बचिया देवी (58 वर्ष) पत्नी रामाकान्त पटेल, निवासी ग्राम देवारा रामपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ को उनके घर से प्रातः लगभग 08:30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के उपरांत माननीय न्यायालय भेज दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- चन्दन पटेल पुत्र रामाकान्त पटेल, उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी ग्राम देवारा रामपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

2- बचिया देवी पत्नी रामाकान्त पटेल, उम्र लगभग 58 वर्ष निवासी ग्राम देवारा रामपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा, रि0का0 अरविन्द यादव, रि0का0 आयुष कुमार पाल, रि0म0का0 आरजू, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़
नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपी गिरफ्तार, अहरौला पुलिस की कार्रवाई

थाना अहरौला पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगाने के मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जयदीप पुत्र सभाजीत, निवासी सारैन भिटवा, शाहपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ (उम्र 22 वर्ष) के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, वादी मुकदमा ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर भगा लिया गया है। इस संबंध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 142/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही थी।

विवेचना के दौरान आरोपी जयदीप का नाम प्रकाश में आने के बाद उसकी तलाश की जा रही थी। 16 जुलाई 2026 को उपनिरीक्षक चन्द्रशेखर सिंह ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर कटाई चवर पुलिया के पास से आरोपी को सुबह 11:15 बजे गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उपनिरीक्षक चन्द्रशेखर सिंह, कांस्टेबल लोकेश प्रताप सिंह, कांस्टेबल सिद्धेश्वर प्रसाद तिवारी थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ ।